

अधिकारी

आयालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

2/006/2021

तारीख रजू.....

कुसुमलता

बनाम

बर्फी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 न0 3093, 3094, 3111, ग्राम सौखरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश वाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 16.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक रथाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 16.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0


5114

सर्वोच्च न्यायालय
आवली दिनांक 29/3/24
को भेज दो



21/3/24

वकील शर्मा उपस्थित
सर्वोच्च न्यायालय दिनांक
की फाइल में फाइल की वारंटे ~~चलती~~ ~~नहीं~~
दिनांक 26/3/24 को भेज दो



सिक्कण्ड अधिकारी

कठुमार (अलपर)

26/3/24

वकील शर्मा उपस्थित नहीं आये। वकील व उनके शर्मा को वा. नं. 2 आवाज रिलाइ गडि कोडि उपस्थित नहीं आया। कारण शर्मा का उपस्थित - फाइल नं. 212 रोजी वकील शर्मा के अड्डा नौकी अड्डा 41 जरी में उपस्थित छिया जाता है। आवली को भेज शुक्रा हेमर भूखण्ड के साथ सलैम (रिपट)



 26/3/24

सिक्कण्ड अधिकारी
कठुमार (अलपर)